भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम

व्याख्यान-V

समानता का अधिकार

नमस्कार

**विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और नालसार विधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है।**

**आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार यानी समानता के अधिकार के बारे में बात करने जा रहे हैं।**

अब सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं?

**मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार ये विभिन्न नाम हैं जो इन महत्वपूर्ण अधिकारों को दिए गए हैं।**

**हमें समझना चाहिए, सभी मौलिक अधिकार मानवाधिकार हैं, लेकिन सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार नहीं हैं। भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के रूप में केवल कुछ मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। कुछ अन्य मानवाधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों में स्थान मिलेगा। अब मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और सबसे बढ़कर व्यक्ति की गरिमा के प्रस्तावना संबंधी विचारों पर हमारे व्याख्यानों में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं।**

**मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में संवैधानिकता के लक्ष्य की भी पूर्ति करते हैं।**

**अब भारतीय संविधान का भाग- III जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, वो अनुच्‍छेद 12 से शुरू होता है और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य मौलिक अधिकारों का प्राथमिक अभिभाषक है राज्य को प्राप्त विशाल शक्तियों के कारण, राज्य अधिकारों का उलंघन करने की सबसे अच्छी स्थिति मे है और इसलिए आम तौर पर राज्य को संबोधित किया जाता है कि राज्य स्वतंत्रता से इनकार नहीं करेगा, राज्य समानता से इनकार नहीं करेगा।**

**आइए अनुच्छेद 12 पर आते हैं और समझते हैं कि राज्य का अर्थ क्या है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का अर्थ है भारत सरकार और भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में स्थानीय या अन्य प्राधिकरण।**

**स्थानीय प्राधिकरणों के उदाहरण क्या हैं- नगर पालिकाऐं, पंचायतें, हाल ही में आपने डीडीसी पर जम्मू और कश्मीर जो की अब एक** Union Territory **है उसके चुनाव देखे थे। अब यह भी स्थानीय प्राधिकरण है? अन्य प्राधिकरणों के संदर्भ में, बहुत अच्‍छे न्यायशास्त्र का विकास हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णय दिए गए हैं जिनमें ओएनजीसी, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को एक राज्य माना गया। लेकिन न्यायपालिका एक राज्य नहीं है। इसलिए, यदि न्यायाधीश निर्णय दे रहे हैं तो आप उन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अगर न्यायपालिका प्रशासनिक स्थिति में काम कर रही है तो वे एक राज्य हो सकते हैं, राजनीतिक दल राज्य नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई जो क्रिकेट की हमारी सबसे बड़ी** Body **है, राज्य नहीं है।**

अब हम अनुच्छेद 13 पर चलते हैं।

**यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि अनुच्छेद 13 को संविधान में अत्यधिक सावधानी से शामिल किया गया था। उनका अर्थ यह था, कि यदि वह अनुच्छेद न भी हो तो भी आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 13 कहता है कि वह सभी संविधान-पूर्व कानून संविधान के प्रारंभ होने पर जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं, 26 जनवरी, 1950 को वो उस असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएंगे। आप जानते हैं कि आपके पास कई संविधान पूर्व कानून हैं, भारतीय संविदा अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम, इन सभी कानूनों का परीक्षण आज मौलिक अधिकार की कसौटी पर किया जाना है।**

**भविष्य के लिए अनुच्छेद 13 खंड (2) कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तीन सिद्धांत हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, एक है आच्छादन का सिद्धांत(**Doctrine of Eclipse**)।**

**अब यह** **आच्छादन का सिद्धांत क्या है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में तो आपने सुना ही होगा. ग्रहण का अर्थ क्‍या है, आप सूर्य को नहीं देख रहे हैं, आप चंद्रमा को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि चंद्रमा या सूर्य मौजूद नहीं है। वो मौजूद हैं लेकिन उनको किसी वस्तु ने ढक लिया है जो उसके ऊपर छा गई है। तो अब मौलिक अधिकारों ने देश के सभी कानूनों को ढक लिया है। मौलिक अधिकार सभी कानूनों पर हावी हो गये हैं और इसलिए, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ग्रहण अर्थात आच्छादन का सिद्धांत सामने आता है, यदि उस कानून में उस समस्या को हटा दिया जाता है तो कानून पुनर्जीवित हो जाता है। यानी कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों के विरूद्ध है, अगर यह दोष समाप्‍त कर दिया जाए तो वह कानून फिर से** Valid Law **बन जाता है।**

पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability)- **यदि कोई कानून पारित होता है, उसमें 100 धाराएं हैं। उसमें कोई एक धारा, उसका कोई एक अनुच्‍छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो केवल वह धारा अवैध मानी जाएगी बाकी कानून वैध रहेगा।**

मौलिक अधिकारों में कोई छूट नहीं होगी।

**हमें समझना चाहिए कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के साथ पैदा होने वाले हर इंसान की यह जिम्‍मेदारी है कि वह उन अधिकारों को हमेशा अपने साथ रखे। किसी व्‍यक्‍ति को, यह अधिकार नहीं है कि वह कहे कि मैंने अपने मौलिक अधिकार को वैवे कर दिया या छोड़ दिया।**

आइए देखें कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं?

**अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है।**

**1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि आज कोई भी किसी की संपत्ति ले सकता है। संपत्‍ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन आज भी यह एक कानूनी अधिकार है।**

**संविधान के 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 में दिए गए अधिकार और अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार अब गैर-उल्लंघन अधिकार बना दिये गये हैं। इसलिए, आपातकाल के दौरान भी इन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।**

**अब जरा हमारे संविधान निर्माताओं को देंखे। जब उन्होंने मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया, तो उन्होंने भारत के बारे में अपना दृष्टिकोण भी दिखाया।** [**मेरे महान देश में अधिकारों को जब हमने लिखा तो नागरिकों को भी अधिकार दिए, विदेशियों और जूरिस्टिक पर्सन को भी अधिकार दिए**]**। अतः अनुच्छेद 15, 19, 29 में दिए गए अधिकार केवल हमारे नागरिकों के अधिकार हैं। नागरिकों में गैर-भेदभाव का अधिकार होगा। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इसी तरह, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रहने और बसने का अधिकार। संघ या यूनियन बनाने का अधिकार, ये केवल हमने अपने देश के नागरिकों को अनुच्छेद 19 में दिए हैं। इसी तरह, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार केवल नागरिकों का अधिकार है। फिर ऐसे अधिकार हैं जो हमने विदेशियों सहित सभी प्राकृतिक व्यक्तियों को दिए हैं, इसलिए अनुच्छेद 20, 21 और 25 के तहत अधिकार भारतीय एवं विदेशियों को भी दिए गए हैं। हमारी धरती पर किसी विदेशी को भी धर्म की स्वतंत्रता होगी। हमारी धरती पर किसी विदेशी को भी जीने का अधिकार होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होगा, इसी तरह ये ऐसे अधिकार भी हैं जो हम न केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को दिए हैं, बल्कि कृत्रिम व्यक्तियों को भी दिए हैं। कृत्रिम व्यक्ति क्या हैं? न्यायिक व्यक्ति, कानून में एक कल्पना है कि एक कंपनी भी एक व्यक्ति है। तो, कंपनी भी अनुच्छेद 14 के तहत अधिकारों का हकदार है समानता के अधिकार का हकदार है।**

**अब समानता के अधिकार पर आते हैं जो कि अनुच्छेद 14 में है, जैसा कि मैंने कहा कि मौलिक अधिकार मूल रूप से राज्य को संबोधित हैं। तो, अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य समानता से इनकार नहीं करेगा। और फिर यह किसी भी व्यक्ति से कहता है जिसमें एक न्यायिक व्यक्ति, यहां तक ​​कि एक कंपनी, यहां तक ​​कि एक मूर्ति भी शामिल है उसको कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानूनों का समान संरक्षण का अधिकार होगा।**

**कानून के समक्ष समानता- यह कानून के शासन की ब्रिटिश अवधारणा से उधार लिया गया है, कानूनों की समान सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति संयुक्त राज्य के संविधान के 14 वें संशोधन से उधार ली गई है। ये दोनों अभिव्यक्तियाँ मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 7 में हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने हमारे संविधान का मसौदा तैयार करते समय ही अपनाया था। इसलिए, शायद हमने इसे मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 7 से उठाया है।**

**अब, कानून के समक्ष समानता में इस शब्द का प्रयोग सामान्य या दार्शनिक अर्थ में किया जाता है, लेकिन जब हम कानूनों के समान संरक्षण की बात करते हैं, तो यह विशिष्ट कानूनों के संदर्भ में होती है।**

**अब अदालतों ने माना है कि समानता का अधिकार संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। और इसलिए, इस अधिकार को कभी भी संविधान के संशोधन से भी हटाया नहीं जा सकता है।**

**समानता शब्द का जब मैं उपयोग करता हूं तो आप सोच सकते हैं कि सभी को समान व्यवहार दिया जाने का अधिकार नहीं, यह समानता का विचार नहीं है। समानता का अर्थ सभी के लिए बराबर या एक समान या समान व्यवहार नहीं है। समानता का मतलब यह नहीं है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसलिए, असमान के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जिन लोगों की स्थिति एक जैसी होती है, उनके साथ व्यवहार भी एक जैसा किया जाएगा। इसलिए, वर्गीकरण की अनुमति है। वर्ग के भीतर कानून समान होगा। एक जैसों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा।**

**तो, यह वर्गीकरण अनुमेय है, वर्गीकरण की अनुमति क्यों है? क्योंकि आप कहेंगे कि इस वर्ग के लिए एक कानून होगा और दूसरे वर्गों के लिए दूसरा कानून। तो, एक व्यक्ति के खिलाफ भी कानून या एक कंपनी के खिलाफ भी कानून हो सकता है। अगर वह कंपनी या वह व्यक्ति अपने आप में एक वर्ग का गठन करता है। एक** Individual **या एक** Company **भी अपने आप में अगर एक** Class **है तो उस** Class **के लिए कानून बनया जा सकता है।**

**हम वैधता का परीक्षण करें कि जो वर्गीकरण किया गया है वह अच्छा वर्गीकरण है, एक वैध वर्गीकरण है, तो हमें तीन चीजों को देखना होगा।**

**पहला कि वर्गीकरण उचित होना चाहिए। यह स्पष्ट अंतर पर आधारित होना चाहिए। जो लोग चुने जाते हैं और जो लोग छूट जाते हैं- उनके बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि हम उन लोगों के लिए कानून बना रहे हैं जिनके बाल काले हैं और जिनके सुनहरे बाल हैं वे इस कानून के दायरे से बाहर होंगे, हम ऐसा कानून नहीं बना सकते कि यह कानून लम्‍बे बालों वाले के लिए है यह लम्‍बे लोगों के लिये और यह कानून नाटे और छोटे लोगों के लिए है। इस प्रकार के वर्गीकरण की अनुमति संविधान नहीं देता।**

**फिर यह वर्गीकरण जो युक्तियुक्त है, जो बोधगम्य अंतर है उस पर आधारित है, उसे प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत और वैध उद्देश्य होना चाहिए।** Classification **हो, वह** Classification intelligible differentia **पर** based **हो और उसका एक** Rational object **हो तब उस वर्गीकरण को आप एक उचित वर्गीकरण** (ReasonableClassification) **मांनेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं- भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 कहती है कि नाबालिग व्यक्ति अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब अगर एक नाबालिग जो भारतीय नागरिक है, वह कहता है कि कैसे कानून मुझे अनुबंध में प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। आयु के आधार पर यह वर्गीकरण सही नहीं है। लेकिन वर्गीकरण सही है क्योंकि नाबालिगों में बड़ों या वयस्कों की तुलना में उस तरह की परिपक्वता नहीं होती है और फिर यह वर्गीकरण वयस्कों और नाबालिगों के बीच के स्पष्ट अंतर पर आधारित है और इसे प्राप्त करने का एक तर्कसंगत उद्देश्य है, नाबालिगों को वयस्कों द्वारा अपने स्वयं के हित के खिलाफ अनुबंध में प्रवेश करने के लिए मजबूर न किया जा सके, यह वह** Purpose **है। नाबालिग उनके द्वारा किए जा रहे संविदात्मक दायित्वों की सभी शर्तों को समझने में सक्षम नहीं होते। इसलिए कानून कहता है कि एक नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध शून्य है, अवैध है। यह वर्गीकरण उचित है और इसे प्राप्त करने का एक तर्कसंगत उद्देश्य है और यह बोधगम्य अंतर पर आधारित है और इसलिए यह एक वैध वर्गीकरण है।**

**अब, इस वर्गीकरण में आगे बढ़ते हैं, जब आप वर्गीकरण कर रहे होते हैं, तो कानून सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है, इसलिए यह उम्मीद नहीं करता कि वर्गीकरण गणितीय सूक्ष्मता पर आधारित होना चाहिए या वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण या तार्किक रूप से पूर्ण होना चाहिए जो कि कानून की मांग, अनुच्छेद 14 की मांग नहीं है।**

**अनुच्छेद 14 यह नहीं कहता है कि एक समान व्यवहार होना चाहिए। और फिर हमारा कानून कहता है कि अगर संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून पारित करता है, तो कानून की संवैधानिकता का अनुमान है। जो भी उस कानून को चुनौती देता है, उसको साबित करना होगा कि वो कानून असंवैधानिक है। इसलिए, यदि नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई, तो सबूत लाने की जिम्‍मेदारी याचिकाकर्ता पर होगी, अदालत इसी बात से शुरू करेगी कि यह कानून संवैधानिक रूप से मान्य है, यह अनुमान इसलिए बनाई गई कि संसद और विधान सभाएं संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत नहीं जाएगी। कानून जब वो पारित करती है तो संविधान अपने मद्देनजर रखकर पारित करती हैं।**

**आइए अब हम वर्गीकरण के कुछ उदाहरण देखें। आइए पहले हम यह देखें कि वैध वर्गीकरण क्या हैं। एक कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ में सरकार ले ले फिर से एक कानून बनाए, यह वैध है, एक कंपनी जो एक आवश्यक वस्तु के उत्पादन में शामिल थी उसको** Classify **किया जाए तो यह एक वैध कानून होगा। किसी तरह एक विशेष अपराधों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के कानून बनायें जाए तो कानून वैध होंगे। यह वर्गीकरण मान्य है। एक कानून जो कहता है कि अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई) अधिक शुल्क का भुगतान करेंगे। अब भारतीयों और अनिवासी भारतीयों के बीच यह वर्गीकरण एक वैध वर्गीकरण माना जायेगा।**

आइए कुछ खराब वर्गीकरणों को देखें।

**एक कानून था जो जिलेवार आरक्षण का प्रावधान करता था। कि इस जिले के लिए इतना आरक्षण होगा। इसको अवैध माना जाएगा। कोई इसाई वसीयत जब ही कर सकता है जब उसने वसीयत अपने मरने के 12 महीने पहले की हो। इस तरह का कानून दूसरे समुदाय के लिए नहीं है। वसीयत का नियम बहुत स्पष्ट है, मृत्यु से पहले जो भी अंतिम वसीयत होगी, वही वैध वसीयत मानी जाएगी। इसलिए, अदालत ने इस कानून को रद्द किया, पहाड़ियों में बसने वाले लोगों के लिए आरक्षण को उचित वर्गीकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।**

**अब सुप्रीम कोर्ट ने समानता के सिद्धांत को ओर उदार बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समानता एक गतिशील अवधारणा है और इसे पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर सीमित, बंद और कैद नहीं किया जा सकता है। और इसलिए, अब यह पर्याप्त नहीं है कि एक उचित वर्गीकरण है, एक पर्याप्त अंतर पर आधारित है, इसका एक तर्कसंगत उद्देश्य है, एक चौथी शर्त लगा दी है, सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए। तीन तलाक के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना माना और इसीलिए रद्द कर दिया।**

**आइए अब हम उन कुछ निषेधों पर चलते हैं जो अनुच्छेद 15 में हैं और जो समानता के अधिकार का एक पहलू है। फिर से, इसे राज्य को संबोधित किया जाता है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहां महत्वपूर्ण शब्द है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।**

**और फिर अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी नागरिक दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा और फिर ऐसे कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट्स का रखरखाव पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से होता हो या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित किया गया हो, वहां भी कोई भेदभाव नहीं होगा। जब मै आपको अनुछेद 17 में बताऊँगा तो आप अस्पर्शता** (**untouchability) के ऐतिहासिक सन्दर्भ को जानेंगे। अनुछेद 15 सम्भोदित कर रहा है कि सभी सार्वजनिक रेस्ट्रॉन्ट, सार्वजनिक दुकाने, सड़कों पर किसी के भी विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं होगा।**

आइए समानता के अन्य प्रावधानों को देखें, एक औपचारिक समानता है और एक वास्तविक समानता है। **मान लीजिए कि अगर दो लोग और चार रोटियां हैं, और अगर आप एक व्यक्ति को देते हैं, तो दो रोटी दूसरे व्यक्ति को दो रोटी देते हैं, यह औपचारिक समानता हुई। वास्‍तव में हो यह सकता है कि एक व्‍यक्‍ति कम खाता हो, उसके लिए एक रोटी ही काफी हो और एक व्यक्ति की भूख ज्‍यादा हो। उसे तीन रोटी की जरूरत हो, अगर आपने उसको दो ही रोटी दी तो वह भूखा रह जाएगा। और दूसरे जिसको एक ही रोटी की आवश्यकता थी उसको दो रोटियां दी तो उसके यहां एक रोटी बेकार चली गई। इसलिए संविधान और समानता का अधिकार औपचारिक** Equality **पर नहीं जाता। वर्गीकरण का अधिकार देता है उसे आवश्‍यक मानता है।**

इसलिए, मौलिक समानता के लिए भेदों, मतभेदों को ध्यान में रखना आवश्यक है और इसलिए अनुच्छेद 15 खंड (3) कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और फिर अनुच्छेद 15 (4) और (5) राज्य को नागरिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।

**2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा एक और खंड उसमें शामिल किया गया। अनुच्छेद 15(6) में यह हमारे संवैधानिक इतिहास में पहली बार हुआ कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी उन्नति के लिए प्रावधान प्रदान किया गया जो अनुच्छेद (4) और (5) के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अब वह लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, राज्य उनके लिए भी एक विशेष प्रावधान कर सकता है और सरकार ने उनके लिए 10% के आरक्षण का विशेष प्रावधान किया है।**

**आइए अब हम समानता के अन्य प्रावधानों पर आते हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की बात करता है,** Public employment, **जिन पर हम अगले व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम आरक्षण नीति के बारे में बात करेंगे।**

**अनुच्छेद 17 पर आते हैं, यह उल्टे अल्पविराम** (‘Inverted Commas’) **में 'अस्पृश्यता' के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि यह केवल एक शब्द नहीं है, इसका एक संदर्भ है, एक ऐतिहासिक संदर्भ है और यह अनुच्छेद 14 को भी दर्शाता है जो समानता की बात करता है या 15 को भी जिसमें कुछ आधारों पर भेदभाव को मना किया गया। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए आधार पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है। यह किसी भी रूप में वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना एक अपराध होगा, जो कानून के अनुसार दंडनीय होगा।**

**ऐतिहासिक रूप से, हमारे समाज के कुछ वर्गों के साथ भेदभाव किया गया है। और इसलिए, आपको इसके लिए एक विशेष अनुच्‍छेद की आवश्यकता थी। इसी तरह अनुच्छेद 25 में मंदिरों के पट सबके लिए खोल दिए गए। फिर 1955 में अनुच्छेद 17 के अनुसार, अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध बनाया गया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। लेकिन यह महसूस किया गया कि यह कुछ और छोटे दंड है जिनसे काम नहीं चल रहा, इसलिए 1976 में अधिनियम में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। अभी भी अस्पृश्यता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार जारी है, इसलिए, 1989 में संसद ने अधिनियमित किया जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एस.सी-एस.टी अधिनियम) कहा जाता है। 2018 में संसद ने इस अधिनियम में संशोधन किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्राथमिक जांच के बिना एफ.आई.आर दर्ज नहीं की जाएगी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी, संसद ने संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस गलत फैसले को वापस ले लिया।**

**अब हम अनुच्छेद 18 पर आते हैं जो समानता के अधिकार का ही एक हिस्सा है।**

**पुराने जमाने में किसी को राजा, रायसाहब, महाराजा, साहब आदि कहा जाता था, अब वह जमाना चला गया है। अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य द्वारा कोई उपाधि जो सैन्य नहीं है या शैक्षणिक विशिष्टता पर आधारित नहीं है, वह नहीं दी जाएगी। आपके पास एक अकादमिक उपाधि हो सकती है, मैं डॉक्टर हूं क्योंकि मैंने पीएच.डी. की है अगर आप सेना में जाते हैं तो आप सैन्य खिताब और सम्मान प्राप्त हो सकते हैं और फिर अनुच्छेद 18 कहता है कि कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 के विपरीत जहाँ अस्पृश्यता मे लिप्त होना एक दंडनीय अपराध है, अनुच्छेद 18 के तहत अगर आप किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करते है तो आपको दण्डित नहीं किया जायेगा । ऐसा कोई कानून अभी नहीं बना है जो इसको दण्डनीय बनता हो ।**

**1954 में भारत सरकार ने 4 पुरस्कार पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न शुरू किए। जनता सरकार द्वारा 1977 में इन पुरस्कारों को समाप्त कर गया दिया था, लेकिन जब सु.श्री गांधी 1980 में सत्ता में वापस आईं, तो उन्हें फिर से शुरु कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन पुरस्कारों को यह कहते हुए बरकरार रखा कि ये वे उपाधियाँ नहीं हैं जिन्हें अनुच्छेद 18 प्रतिबंधित करता है, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि इन उपाधियों या पुरस्कारों के नाम के उपसर्ग या उपसर्ग के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है।**

आज हमने क्या सीखा?

**हमने सीखा कि मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति के नकारात्मक प्रतिबंध हैं। समानता का अधिकार कानून के शासन की ब्रिटिश अवधारणा और अमेरिकी संविधान के संशोधन नंबर 14 में दिए गए समानता के अधिकार की अवधारणा पर आधारित है। समानता का अधिकार एकरूपता नहीं है, कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। इसका मतलब है कि एक जैसों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। उचित वर्गीकरण अनुमेय है यदि यह मनमाना नहीं हो और इसका एक** Rational Object **हो, तर्कसंगत उद्देश्य हो।**

अगले व्याख्यान में

**हम आरक्षण नीति के बारे में बात करेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आरक्षण नीति क्यों अपनाई गई, इसने कैसे काम किया? हमारी आरक्षण नीति में क्या सुधार किए जा सकते हैं?**

**आपका बहुत बहुत धन्यवाद।**